

**लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़****पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
030/2022 (GCMS 2022/150)	10.06.2022	06.07.2022

**अनवान**

रामसिंह पिता जोधसिंह चौहान निवासी आक्या, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलांट****बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

**रेस्पोंडेंट**

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

**--: निर्णय :-**

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 26.04.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./030/2022(सू.अ.)(05.07.2022)/464 दिनांक 10.06.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 05.07.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 05.07.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 06.07.2022 को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाएँ दिलाने का आदेश प्रदान करावें। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/सू0काअधि0/2021/507 दिनांक 01.07.2022 से कमेंट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार है-

यह कि अनवान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक



26.04.2022 के अनुसार सूचना अवधि दिनांक 01 जनवरी 2019 से 22 अप्रैल 2022 तक की वाद पत्र/अपील/पेशी डायरी एवं प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 में हुए कार्यों से संबंधित सूचना चाही गयी है। आवेदन में वर्णित सूचना को तैयार करने में अधिक समय लगेगा। अतः आवेदनकर्ता को सूचना भिजवाने हेतु 01 माह का समय अधिक दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/सू0काअधि0/2021/507 दिनांक 01.07.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन-मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.04.2022 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2019 से 22 अप्रैल 2022 तक उपखण्ड कार्यालय भदोसर में दर्ज एवं फैसल वादपत्र/अपील/पेशी डायरी एवं प्रशासन गावों के संग अभियान-2021 में हुए कार्यों से संबंधित सूचना चाही गयी है। जो कि अत्यंत विस्तृत है एवं अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक/सू0काअधि0/2021/507 दिनांक 01.07.2022 से प्रेषित कमेंट्स के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार करने हेतु अतिरिक्त समय चाहा गया है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अत्यन्त विस्तृत है एवं कार्यालय समय में अन्य कार्यों के साथ वांछित सूचना की प्रतिलिपि करने में अधिक समय लगना संभव है। परन्तु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में भी सूचना तैयार करने हेतु पर्याप्त समय लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भदोसर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना 15 दिवस में नियमानुसार तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भदोसर, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांत को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 06.07.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-sd-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)  
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
06.07.2022

